उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-2

संख्या- 11/1569 / 71-आयुष-2- / 2014

लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट-1951 (यथासंशोधित) की धारा-53(1) की शक्तियो का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में धारा-4(ए) के अधीन सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 03-11-2014 को समाप्त होने के द्रष्टिगत तथा धारा-4(बी)(सी) के अन्तर्गत निर्वाचित होने वाले सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण राज्यपाल महोदय श्री अरिन्दम भट्टाचार्य, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, उ0प्0 शासन को दिनांक 04-11-2014 से नियंत्रक, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड नियुक्त करते है । नियंत्रक द्वारा धारा-53(1) मे विहित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की समस्त शक्तियो का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा ।

बी0एस0 भुल्लर

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-11 / 1569(1) / आयुष-2-2014 तदनुसार-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय/राजकीय प्रेस, ऐसबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सर्व साधारण के सूचनार्थ राजकीय गजट में प्रकाशित कराकर 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

<u>(अरिन्दम भट्टाचार्य)</u>

विशेष सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in